दिनांक 19.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा वर्ष–2025 की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की वार्षिक परीक्षाओं को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनांक 24.02.2025 से 12.03.2025 तक दो पालियों में आयोजित हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा को सकुशल एवं शान्तिपूर्ण ढ़ग से सम्पन्न कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः–

- पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी अपने जनपद में एक इन्टीग्रेटेड हेल्प डेस्क व्यवस्थापित कर लें ताकि ग्रामीण/सुदूर अंचलों से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
- परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर परीक्षा केन्द्रों का स्वयं एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थलीय भ्रमण करके परीक्षा केन्द्रों पर सम्भावित भीड़ तथा आगणित परिस्थितियों के अनुरूप विभिन्न विकल्पों पर समय रहते विचारण कर लिया जाए तथा आवश्यकतानुरूप समुचित पुलिस बल उपलब्ध कराते हुए सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- परीक्षा से पूर्व नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षक अधिकारी के साथ बैठक कर सभी आवश्यक तैयारियों की समीक्षा कर ली जाये।
- परीक्षा केन्द्रो के आस–पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग कदापि न होने दिया जाये।
- परीक्षा केन्द्रों पर मोबाइल फोन, आई0टी0 गैजेट्स एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा, जिसके दृष्टिगत प्रवेश स्थलों पर अभ्यर्थियों की तलाशी में सहयोग हेतु पर्याप्त पुलिस कर्मी (महिला/पुरुष कर्मी) तैनात कर दिये जाए।
- परीक्षा केन्द्रों के आस–पास 100 मीटर परिधि में आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 की धारा–163 (पूर्व में द0प्र0सं0 के अन्र्तगत धारा–144) के अन्र्तगत निषेधाज्ञा के आदेश पारित कराये जायें ।
- परीक्षा केन्द्रों के औचक निरीक्षण के दौरान वायस रिकार्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा के प्रभावी रूप से कार्य करने/संचालित होने की जांच आवश्य की जाय। संवेदनशील

/अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी फुटेज/रिकार्डिंग के साथ ही राऊटर डिवाइस के क्रियाशीलता की जाँच सुनिश्चित कर ली जाये।

- प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने एवं परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं को गनतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुचाने हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाये।
- यू0पी0 112 के पीआरवी वाहनों (04 पहिया/02 पहिया) का परीक्षा केन्द्रों के अनुसार रूट चार्ट अद्यावधिक कराते हुये उनका व्यवस्थान सुनिश्चित कराया जाये, जिससे पुलिस की अधिक से अधिक विजबिल्टी बनी रहे।
- परीक्षा से पूर्व विभिन्न कर्मचारियों/संगठनों के धरना प्रदर्शन आदि के दृष्टिगत आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल व्यवस्थापित कराया जाए।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचने तथा परीक्षा के उपरान्त वापस अपने गन्तव्य स्थलों तक लौटने के दौरान सुगम यातायात बनाए रखने हेतु समय से आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- उक्त परीक्षा के सम्बंध में विगत में यदि कोई अभियोग पंजीकृत किये गये हों तो उनमें सम्मिलित नामजद/प्रकाश में आये अभियुक्तों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 10th व 12th की परीक्षाएं भी चल रही हैं, जिसके दृष्टिगत पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूलों के आस–पास सतर्कता बरती जाये।
- रेलवे/मेट्रो व बस स्टेशनों तथा आटो/टैक्सी स्टैण्ड पर संचालकों से वार्ता कर भीड़ नियंत्रण हेतु पूर्व से कार्ययोजना बनाकर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- जनपदों के मुख्य–मुख्य चौराहों/तिराहों पर आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में यातायात कर्मियों को तैनात किया जाये ताकि कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न न होने पाये तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र तक आवागमन में कोई असुविधा न हो।

दिनांक 19.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 22/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना पुरकाजी

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 16 हजार 950 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 18.02.2025 की रात्रि थाना पुरकाजी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जहीरपुर रोड पर बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–अब्दुल रहमान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–कलीम 3–अब्दुल वहाब सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से चोरी के 16 हजार 950 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना पुरकाजी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पुरकाजी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अब्दुल निवासी नन्हेड़ा गाजी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

2–कलीम निवासी हरियाबंश थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

3–अब्दुल वहाब निवासी नन्हेड़ा गाजी थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 16 हजार 950 रूपये नगद।

2—01 मोटर साइकिल।

3—03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/थाना इज्जतनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 पिकअप वाहन, 01 कार, 01 मोटर साइकिल**
- **नगद रूपये**
- **03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर आदि बरामद**

दिनांक 19.02.2025 को थाना इज्जतनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साहरा ग्राउण्ड के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—वसीम 2—अफसर अली 3—जावेद घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 मोबाइल फोन, 01 पिकअप वाहन, 01 कार, 01 मोटर साइकिल, नगद रूपये, 03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त वसीम के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इज्जतनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—वसीम निवासी भूडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

2—अफसर अली निवासी भूडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

3—जावेद निवासी भूडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—03 मोबाइल फोन।

2—01 पिकअप वाहन, 01 कार, 01 मोटर साइकिल।

3—नगद रूपये।

4—03 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस विभिन्न बोर आदि।

जनपद रामपुर/थाना सिविल लाईन

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 15 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 18/19.02.2025 की रात्रि थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शिवापुरम के खण्डहरों के पास से 02 अभियुक्तों 1—रफत अली 2—राजा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 15 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रफत अली निवासी ग्राम अजीतपुर थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर।

2—राजा निवासी मानपुर पट्टी थाना मूढापाण्डे जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1—चोरी की 15 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना वृन्दावन

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 13 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.02.2025 को थाना वृन्दावन पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–शौकीन 2–तारिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 13 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शौकीन के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग व अभियुक्त तारिफ के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना वृन्दावन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शौकीन निवासी ग्राम हाथिया थाना बरसाना जनपद मथुरा।

2–तारिफ निवासी ग्राम हाथिया थाना बरसाना जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–चोरी की 13 मोटर साइकिल।

- **जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 02 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376डी भादवि एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शिब्बू 2–कुन्नी उर्फ सुभाष को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 02 लाख 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना पिलुआ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना पिलुआ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ राजा को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हापुड़/थाना पिलखुवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बब्लू उर्फ विनोद को आजीवन कारावास व 26 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हमीरपुर/थाना कुरारा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/504 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त छंगा को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बागपत/थाना बागपत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 28-28 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना बागपत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304/34/323 भादवि के

अन्तर्गत अभियुक्त 1—सलीम 2—भूरा को 10—10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 28—28 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हरदोई/थाना मल्लावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 07—07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मल्लावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/511/323/34/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—सर्वेश 2—चन्दन को 07—07 वर्ष के सश्रम कारावास व 20—20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद गोरखपुर/थाना गोरखनाथ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त दीपक को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफ—अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 04 अभियुक्तों को 13 अदद अवैध तमंचे 315 बोर सहित थाना टप्पल, जनपद अलीगढ से एसटीएफ द्वारा किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 19—02—2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले 04 अभियुक्तों को 13 अदद अवैध तमंचे 315 बोर के साथ थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— अजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी ग्राम अजमतपुर, थाना मऊदरवाजा, जनपद फर्रूखाबाद हाल पता— ग्राम लोहागढ, थाना खैर, जनपद अलीगढ़।

2– जसवंत सिंह पुत्र मुंशी निवासी बखनेर, थाना कासगंज, जनपद कासगंज।

3– राजकुमार पुत्र भगवान सिंह निवासी ग्राम बरका, थाना खैर, जनपद अलीगढ।

4– रिछपाल सिंह पुत्र हरलाल सिंह निवासी सिकन्द्राबाद खत्रीबाडा मोहल्ला, थाना सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर ।

बरामदगी–

1– 13 तमंचे 315 बोर अवैध

2– तमंचे बनाने में प्रयोग किये जाने वाले औजार/उपकरण

3– सैण्ट्रो कार यू0पी0 14 बीके 5558

गिरफ्तारी का स्थान व समय– जरतौली जाने वाले मार्ग पर खाली प्लाटों के पास बने मकान से थाना टप्पल, जनपद अलीगढ। दिनांक 19–02–2025, समय– 13:20।

विगत काफी दिनों से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवैध तमंचो की फैक्ट्री चलाने वालों के सम्बन्ध में सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान उ0नि0 अमित कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 धूम सिंह, मु0आ0 सुनित, मु0आ0 रामजी लाल, मु0आ0 हरिओम व आरक्षी संजय यादव को ज्ञात हुआ कि अवैध तमंचों की फैक्ट्री चलाने वाले कुछ लोग थाना टप्पल, जनपद अलीगढ क्षेत्रान्तर्गत जरतौली मार्ग पर खाली प्लाटों के पास बने मकान में मौजूद है व अवैध तमंचे बना रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए थाना स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर जरतौली मार्ग पर खाली प्लाटों के पास बने घर में दबिश दी गयी तो 04 अभियुक्तों को मौके पर तमंचे बनाते हुये गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी की गयी।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा सामूहिक रूप से बताया गया कि हम चारों मिलकर अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। फैक्ट्री में अवैध तमंचे 315 बोर के बनाकर लोगों को दिल्ली– एन0सी0आर0 में अच्छे दामों पर सप्लाई करते हैं। जिससे हमारी अच्छी आमदनी होती है।

उपरोक्त चारों अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना टप्पल, जनपद अलीगढ पर मु0अ0सं0–92/2025 धारा 3/5/25 पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी ।

अभियुक्त अजीत सिंह का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0–144/21 धारा 5/25 शस्त्र अधि0 थाना खैर, जनपद अलीगढ़

2– मु0अ0सं0 145/21 धारा 41/102 द0प्र0सं0 व 414 भादवि थाना खैर, जनपद अलीगढ

3– मु0अ0सं0 258/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 थाना खैर, जनपद अलीगढ़।

4– मु0अ0सं0 285/24 धारा 5/25/54/59 शस्त्र अधि0 थाना फर्श बाजार, शाहदरा नई दिल्ली।

5– मु0अ0सं0–92/2025 धारा 3/5/25 शस्त्र अधि0 थाना टप्पल, जनपद अलीगढ।

————